न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
त्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.
रण संख्याः- 016/2024

रणजीत सिंह पुत्र श्री साहबराम जाति जाट (पूनियां) उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड 11 चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़

-:वादीगण

बनाम्

1 साहबराम पुत्र श्री रतनाराम जाति जाट निवासी चक हरीपुरा तहसील में जिला हनुमानगढ़
2 हरीराम पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
3 सुरभि पुत्री श्री साहबराम पत्नी श्री अभिषेक सिहाग जाट निवासी ताजापट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
4 मूर्ति पुत्री श्री साहबराम पत्नी श्री वेदप्रकाश ढाका जाति जाट निठसी पंवकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
5 मीरां देवी धर्मपत्नी श्री साहबराम जाति जाट निवासी चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
6 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री कासमअली अराई - अधिवक्ता वादी
2. श्री भवानी सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3. श्री राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 6

-:निर्णयः-

दिनांक 3.2.26

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।
वाद पत्र की नोईयत को समझने की गर्ज से वादी एंव प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वादपत्र में अंकित किया गया है।

यह कि वादी के पिता श्री साहबराम को अपने पिता श्री रतनाराम की मृत्युपरान्त विरास्तन भूमि प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है -
चक नम्बर 7 एनडीआर-ए खाता संख्या 91/76 पत्थर नम्बर 168/339 (31) किला नम्बर 11/2/228, 12/.253, 13/.253, 14/253, 15/1/228, 15/2/.025, 16/1/228, 16/2/.025, 17/253, 18/.253, 19/.253, 20/2/.228, 21/2/0.114, 22/.253, 23/.253, 24/.253, 25/1/.228, 25/2/.025 कुल 3.606 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि मय गै.मु.। चक नम्बर 1 एमडब्ल्यू प.न. 168/340 (14) किला नम्बर
19/2/.139, 20/1/.0228, 21/2/.228, 22/1/.228, 23/1/.190, 24/2/.051 कुल 1.064 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि। चक नम्बर 1 एमडब्ल्यू (12) खाता संख्या 59/9 प.न. प.न. 166/340 मु.न. 12 कि.न. 4/253, 15/.253, 16/.253, 17/.253, 24/2/.228, 25/2/.228 प.न. 168/340 (14) किला नम्बर 21/1/.025, 21/2/.025, 23/3/.025 कुल 1.543 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि।

यह कि वाद पत्र की धारा 3 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि की आय से वादी एवं प्रतिवादी संं 1 से 3 द्वारा निम्नलिखित कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम से क्रय की गई- चक 7 एनडीआर-ए खाता

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

या 90/79 पत्थर नम्बर 168/336 (11) किला नम्बर 1 से 4, 7 से 14, 17 से 24 प्रत्येक 0.
3 हेक्टेयर कुल 5.060 हैक्टेयर अर्थात 20 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी
वत 2076-2079 संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की धारा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में आती है, समें वादी का अपने पिता, भाई एंव बहनो के साथ 1/5-1/5 हक, हिस्सा, हित व अधिकार मुताबिक न्दू विधि निहित है।

यह कि वाद पत्र की धारा-3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के संयुक्त आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या-1 से 4 का वाद पत्र की धारा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/5 हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या-1 वाद पत्र की धारा-3 व 4 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम से दर्ज होने के कारण इसमें वादी के निहित हित व अधिकार से इन्कार कर रहा है तथा इस भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व अन्त तरीके से अन्तरित कर वादी एंव प्रतिवादी संख्या-2 से 4 को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए उद्यत एंव प्रत्यनशील है। जबकि प्रतिवादी संख्या-1 को अच्छी मंदी के लिहाज से बिना विधिवत एंव भौतिक विभाजन के अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि एंव विशिष्ठ किला नम्बर एंव पत्थर नम्बर की भूमि को रहन, बैय व अन्य तरीके से अन्तरित करने का अधिकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या-1 यह भूमि बिना किसी युक्तियुक्त एंव जायज जरूरत के रहन, बैय या अन्य तरीके से अन्तरित करने की गत सप्ताह से सरे आम धमकी दे रहा है कि वह वाद पत्र की धारा-3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व अन्य तरीके से अन्तरित करेगा तथा इस भूमि में वादी के संयुक्त आधिपत्य एंव कब्जा-काश्त में हस्तक्षेप कारित कर जबरन बेदखल करेगा। यदि प्रतिवादी संख्या-1 अपने इस अनुचित, मनमाने एंव विधि विरुद्ध कृत्य में कामयाब हो गया तो वादी को भारी असुविधा व अपरिमेय क्षति कारित होगी। इन हालात में वादी प्रतिवादी संख्या-1 के विरुद्ध वाद पत्र की धारा-3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में अपने 1/5 हक व हिस्सा की खातेदारी अधिकारो की घोषणा पाने तथा मुताबिक घोषणा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी बतौर पारिणामिक अनुतोष एंव शाश्वत व्यादेश भी प्रतिवादी संख्या-1 के विरुद्ध इस आशय का प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या-1 वाद पत्र की धारा-3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व अन्य तरीके से अन्तरित करने से तथा वादी के संयुक्त आधिपत्य व कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने से निषेध रहे।

यह कि वादी ने दिनांक 11.12.2023 को प्रतिवादी संख्या-1 से निवेदन किया कि वह वाद पत्र की धारा-3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या-2 से 4 सहित प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा भूमि स्वीकार कर लेवे तथा उसके पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा जारी करवाने व अच्छी मंदी के लिहाज से विधिवत एंव भौतिक बंटवारा करवाने हेतू अपनी सहमति प्रदान कर देवें तथा बिना विधिवत व भौतिक बंटवारा के इस भूमि को अन्य व्यक्तियो को रहन, बैय व अन्य तरीके से अन्तरित करने से तथा वादी के संयुक्त आधिपत्य व कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषेध रहें, तो उसने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। आदि आदि कथन कर वाद पत्र पेश किया गया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता भवानी सिंह निर्वाण उपस्थित एवं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने दावा में राजीनामा सहमति का पेश किया। वाद पत्र कोई कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष ने सहमति से खाता विभाजन व घोषणा किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय के विनम्र अभिमत में वाद पत्र सहमति से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:-

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाता है व घोषणा व विभाजन किया जाता है कि:-

लक्टर
धिकारी
गढ

) वादी को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण- चक 7 एनडीआर-ए तहसील हनुमानगढ खाता ख्या 90/79 के पत्थर नंबर 168/336 (11) किला नंबर 2, 3, 8, 9 प्रत्येक 0.253 है0, 12/0. 26 है0, 13, 18, 23 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.898 हैक्टेयर।

) प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण- चक 1 एमडब्लयू, तहसील नुमानगढ खाता संख्या 59/9 के पत्थर नंबर 166/340 (12) किला नंबर 14/0.253, 15/0.253, 6/0.253, 17/0.253, 24/2/0.228, 25/2/0.228 व पत्थर नंबर 168/340 (14) किला नंबर 1/1/0.025, 21/2/0.025, 23/3/0.025 कुल 1.543 हैक्टेयर।

क 1 एमडब्लयू, तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 58/215 के पत्थर नंबर 168/340 (14) किला बर 20/1/0.228, 21/1/0.228 कुल 0.406 हैक्टेयर।

ग) **प्रतिवादी संख्या 2 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण-**

क 7 एनडीआर-ए तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 90/79 के पत्थर नंबर 168/336 (11) किला नंबर 1, 10, 11 प्रत्येक 0.253, 12/0.127, 19, 20, 21, 22 कुल 1.898 हैक्टेयर।

चक 7 एनडीआर-ए तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 91/76 के पत्थर नंबर 168/339 (31) किला नंबर 11/2/0.228, 12/0.253, 13/0.253, 14/0. 253, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0. 228, 16/2/0.025, 17/0. 253, 18/0.253, 19/0.253, 20/2/0.228, 21/2/0.114, 22/0. 253, 23/0.253, 24/0.253, 25/1/0.228. 25/2/0.025 कुल 3.606 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन।

(घ) प्रतिवादी संख्या 5 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण-

चक 7 एनडीआर-ए तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 90/79 के पत्थर नंबर 168/336 (11) किला नंबर 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.265 हैक्टेयर। चक 1 एम. डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 59/15 के पत्थर नंबर 166/340 (12) किला नंबर 19/2/0.139, 22/1/0. 228, 23/1/0.190, 24/1/0.051 कुल 0.608 हैक्टेयर। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायम किया जाता है।। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

सीन अधिकारीः- **(मांगी लाल)** RAS
रण संख्याः- 016/2024

रणजीत सिंह पुत्र श्री साहबराम जाति जाट (पूनियां) उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड 11 चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़

बनाम् -:वादीगण

1 साहबराम पुत्र श्री रतनाराम जाति जाट निवासी चक हरीपुरा तहसील में जिला हनुमानगढ़
2 हरीराम पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
3 सुरभि पुत्री श्री साहबराम पत्नी श्री अभिषेक सिहाग जाट निवासी ताजापट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
4 मूर्ति पुत्री श्री साहबराम पत्नी श्री वेदप्रकाश ढाका जाति जाट निठसी पंवकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5 मीरां देवी धर्मपत्नी श्री साहबराम जाति जाट निवासी चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
6 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कासमअली अराई वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री भवानी सिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः-

(क) वादी को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण- चक 7 एनडीआर-ए तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 90/79 के पत्थर नंबर 168/336 (11) किला नंबर 2, 3, 8, 9 प्रत्येक 0.253 है0, 12/0. 126 है0, 13, 18, 23 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.898 हैक्टेयर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण- चक 1 एमडब्लयू, तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 59/9 के पत्थर नंबर 166/340 (12) किला नंबर 14/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 17/0.253, 24/2/0.228, 25/2/0.228 व पत्थर नंबर 168/340 (14) किला नंबर 21/1/0.025, 21/2/0.025, 23/3/0.025 कुल 1.543 हैक्टेयर।

चक 1 एमडब्लयू, तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 58/215 के पत्थर नंबर 168/340 (14) किला नंबर 20/1/0.228, 21/1/0.228 कुल 0.406 हैक्टेयर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण-

चक 7 एनडीआर-ए तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 90/79 के पत्थर नंबर 168/336 (11) किला नंबर 1, 10, 11 प्रत्येक 0.253, 12/0.127, 19, 20, 21, 22 कुल 1.898 हैक्टेयर।

चक 7 एनडीआर-ए तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 91/76 के पत्थर नंबर 168/339 (31) किला नंबर 11/2/0.228, 12/0.253, 13/0.253, 14/0. 253, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0. 228, 16/2/0.025, 17/0. 253, 18/0.253, 19/0.253, 20/2/0.228, 21/2/0.114, 22/0. 253, 23/0.253, 24/0.253, 25/1/0.228. 25/2/0.025 कुल 3.606 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन।

(घ) प्रतिवादी संख्या 5 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण-

चक 7 एनडीआर-ए तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 90/79 के पत्थर नंबर 168/336 (11) किला नंबर 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.265 हैक्टेयर। चक 1 एम. डब्ल्यू, तहसील

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

क खाता संख्या 59/15 के पत्थर नंबर 166/340 (12) किला नंबर 19/2/0.139, 22/1/0. 23/1/0.190, 24/1/0.051 कुल 0.608 हैक्टेयर। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग कर रकबाराज अलग कायम किया जाता है।। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता यदि कोई स्वजन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर सी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे।।

ज XXX नल XXX मुद्रिलक XXX मिल XXX बाबत् XXX मिल XXX खर्चा मुकदमें के मय सूद बा शरह सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

सब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03.02.2026 को जारी किया गया।

- **रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के डिक्री की पालना की जावें।**

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ